

प्रकरण ७

सुरक्षा के दुय्यम संगठन

युद्धकाल में देश की भू-सीमाएँ, हवाई तथा सागरी सीमाओं की रक्षा करने के लिए थलसेना, वायुसेना और नौसेना होती हैं। ये शत्रु से मुकाबला करती हैं। इन्हें सीमा के मोर्चे पर लड़ने वाले सेनादल कहते हैं। इन सेनादलों की जिम्मेदारी के अलावा युद्धकाल में देश की आंतरिक सुरक्षा को सँभालकर सेनादलों की सहायता करने वाले दलों को सुरक्षा के दुय्यम सेनादल कहते हैं। ये सेनादल केंद्रीय गृहमंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं।

सुरक्षा के दुय्यम सेनादल शांतिकाल, युद्धकाल तथा आंतरिक अशांति के काल में देशांतर्गत शस्त्रास्त्रों के कारखानों, बिजली आपूर्ति केंद्र, हवाई अड्डे, रेल स्थानक, पेट्रोल, खनिज तेल के संकलन स्थान तथा जल आपूर्ति करने वाले केंद्र बंदरगाह और महत्वपूर्ण स्थान आदि की रक्षा करना इनका काम है। इनके अतिरिक्त इनके निम्न कार्य हैं।

दूसरे दर्जे के सेनादल के कार्य

- देश में सुव्यवस्था निर्माण करना।
- नागरी प्रशासन को मदद कर स्थिरता को स्थायी बनाना।
- समुद्री तटों की सुरक्षा करना।
- युद्धकाल में महत्वपूर्ण पुल, सड़के और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा करना।

सुरक्षा के दुय्यम सैन्यबल में अनेक सैन्यबलों का समावेश होता है। केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधीन बलों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से सीमा सुरक्षा बल, इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस बल और असम राइफल का समावेश होता है। तटसुरक्षा दल का समावेश भारतीय नौसेना के नियंत्रण में होता है।

अ) सीमा सुरक्षा बल :

सीमा सुरक्षा बल की स्थापना १ दिसंबर १९६५ को हुई। इस सैन्यबल पर केंद्रीय गृह विभाग नियंत्रण रखता है। सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख का पद 'महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल' होता है। थलसेना की तरह इस सुरक्षा बल की भी अनेक शाखाएँ (बटालियन्स) होती हैं। सीमा सुरक्षा बल मुख्यतः शांतिकाल में भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा का काम करता है।



कार्य :

- १) शांति काल में देश की भू-सीमाओं की रक्षा करना ।
- २) भारतीय सीमाओं को लाँघने का प्रयास करने वाले, घुसपैठियों तथा तस्करी करने वालों पर रोकथाम लगाना ।
- ३) कानून तथा सुव्यवस्था की दृष्टि से नागरी प्रशासन की सहायता करना ।
- ४) सीमा की दूसरी ओर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों पर रोकथाम लगाना आदि ।

ब) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल :

भारतीय उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की २४ अक्टूबर १९६२ को स्थापना की गई । यह सीमा पुलिस बल गृहमंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है । इस दल के सैनिक काराकोरम पर्वत से जम्मू कश्मीर के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश में कार्य करते हैं ।



कार्य :

- १) सीमा तथा सीमावर्ती प्रदेश की रक्षा करना ।
- २) सीमा प्रदेश के चुने हुए प्रवेश मार्गों (दर्रों) पर पहरा देना ।
- ३) सीमा प्रदेश से गैर कानूनी प्रवेश करने वालों, गुनाहगारों तथा गैरकानूनी यातायात करने वालों पर कार्रवाई करना आदि ।

क) असम राइफल्स :

असम राइफल्स सबसे पुराना सैन्यदल है । इसकी स्थापना १८३५ में कच्चारलेव्ही के तहत की गई । पहले और दूसरे महायुद्ध में अच्छा कार्य करने हेतु इस सैन्यबल को गौरवान्वित किया गया । उसी समय से इस सैन्यदल को असम राइफल्स के नाम से जाना जाता है । शिलाँग में इस सैन्यदल का मुख्य कार्यालय है ।



कार्य :

- १) भारत की पूर्व-उत्तरी सीमा की रक्षा करना ।
- २) पूर्व-उत्तरी भारत के राज्यों की बगावत के बारे में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना ।
- ३) नागरी असंतोष नियंत्रित करके नागरी प्रशासन की सहायता करना ।
- ४) पूर्व-उत्तरी राज्यों में कानून तथा सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए सहायता करना आदि ।



- (१) तट रक्षक दल का मुख्य कार्य भारत का लगभग बीस लाख वर्ग किमी सागरी क्षेत्र तथा लगभग ७००० किमी लंबाई वाले समुद्री तट की रक्षा करना है ।
- (२) सागरी तस्करी तथा जासूसी का नियंत्रण करना ।
- (३) भारतीय मत्स्य उत्पादन व्यवसाय का संरक्षण तथा सहायता करना ।
- (४) भारत समुद्री तट पर तथा सागरी पर्यावरण का नियंत्रण करना ।
- (५) सागरी संसाधन की रक्षा करना ।
- (६) सागरी विज्ञान तथा अनुसंधान के लिए आवश्यक जानकारी का संकलन करना, आदि ।

१. सीमा सुरक्षा बल एवं तट रक्षक दल के कार्यों में अंतर लिखिए ।

२. अर्द्ध सैनिक बल के सैनिक का साक्षात्कार लेकर निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए ।

अ) सैनिक का नाम तथा पद :

ब) वर्तमान कार्यालय

क) नियुक्ति काल

ड) अपेक्षित योग्यता

इ) सेना में क्यों भर्ती हुए

ई) सेवाकाल का उल्लेखनीय कार्य बताइए

ज) स्मरणीय प्रसंग

झ) युवकों को संदेश



उपक्रम

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल और आसाम रायफल्स का कार्यक्षेत्र भारत के मानचित्र में दिखाइए।



प्रकरण ८ पुलिस बल

देशांतर्गत शांति तथा सुरक्षा रखने हेतु विविध प्रकार के पुलिस बल होते हैं। इनमें प्रमुखता से भारत के प्रत्येक घटक राज्य का स्वतंत्र पुलिस बल होता है। इन्हीं के साथ राज्य में आपात्कालीन स्थिति निर्माण होने पर सार्वत्रिक चुनाव, त्योहार, पर्व तथा प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित संकटकाल में नागरी प्रशासन को कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य पुलिस संगठन सहायता करती हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बल का समावेश होता है :

अ) केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (CRPF) : केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करने वाला सबसे बृहद अर्द्ध सैनिक बल है। इस बल की स्थापना १९३९ में हुई। इस बल के प्रमुख 'महानिदेशक केंद्रीय आरक्षित पुलिस' होते हैं। इस बल ने गौरवशाली सेवा दी है। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल के कुल २४० बटालियन्स हैं तथा उसमें छह महिला बटालियन्स हैं। वे देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत हैं।



कार्य :

- (१) देशांतर्गत अस्थिरता निर्माण होने पर अथवा राज्य में तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के कार्य में आवश्यकतानुसार सहयोग करना।
- (२) प्राकृतिक आपदाओं के काल में नागरिकों की सहायता करना।
- (३) देशद्रोहियों के विरोध में उनको ध्वस्त करना।
- (४) युद्धकाल में सुरक्षा बल की सहायता करने हेतु दुय्यम सुरक्षा का कार्य करना आदि।

ब) राज्य आरक्षित पुलिस बल : (SRPF) राज्य आरक्षित पुलिस बल भारत के प्रत्येक राज्य के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। यह साधारण पुलिस बल के अलावा सशस्त्र पुलिस बल है। उसे ही राज्य आरक्षित पुलिस बल अथवा एस. आर. पी. एफ. तो किसी राज्य में प्रांतीय रक्षक बल के नाम से पहचाना जाता है। इस बल के प्रमुख डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आर्मड पुलिस पद के अधिकारी होते हैं। राज्य आरक्षित पुलिस बल में अपने-अपने राज्य से भर्ती की जाती है। प्राथमिक तथा विशेष प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के बाद उन्हें जिम्मेदारी के कार्य दिए जाते हैं। राज्य में स्थायी स्वरूप की छावनियों में इनका प्रशिक्षण शुरू रहता है। युद्धकाल में उन्हें दुय्यम सुरक्षा के कार्य करने पड़ते हैं।



कार्य :

- (१) उत्पात मचाने वाले तथा समाजकंटक गुटों का बंदोबस्त करना ।
- (२) राज्य पुलिस को कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायता करना ।
- (३) समाज विघातक नक्सलवादी जैसी सशस्त्र टोलियों का 'बंदोबस्त' करना, आदि ।

क) गृहक्षक बल (होमगार्ड) : होमगार्ड एक स्वयंसेवी संगठन है । इसकी स्थापना १९४८ में केंद्रीय गृहमंत्रालय के नियंत्रण में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में हुई है । इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों का सहभाग होता है । संगठन को इनके अनुभवों का लाभ प्राप्त होता है । होमगार्ड ऐच्छिक सेवा है । होमगार्ड को नागरी व्यवस्थापन को सहायता करने वाले संगठन के रूप में देखा जाता है । राज्य के होमगार्ड कानून तथा नियमों के अनुसार होमगार्ड का व्यवस्थापन तथा संगठन शुरू रहता है । होमगार्ड संगठन के प्रमुख को 'कमांडेंट जनरल होमगार्ड' कहा जाता है । यह संगठन जिला, तहसील, ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है । प्रत्येक विभाग में होमगार्ड की भर्ती की जाती है । इसमें पुरुष और महिला स्वयंसेवकों का समावेश होता है । उनका 'शहरी' तथा 'ग्रामीण' ऐसा वर्गीकरण किया जाता है । इसके अनुसार इन्हें लगातार १० से ४२ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है । वैसे ही साप्ताहिक कवायद तथा आठ दिनों का पुनराभ्यास शिविर पूर्ण करना पड़ता है ।

कार्य :

- (१) राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कानून तथा सुव्यवस्था, यातायात नियंत्रण, जनसंपत्ति की रक्षा आदि कार्यों में सहायता करना ।
- (२) सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- (३) त्योहार एवं पर्व, जुलूस, सभाओं के दरम्यान कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरी प्रशासन की सहायता करना ।
- (४) प्राकृतिक आपदाओं के तथा देशांतर्गत बम विस्फोट के समय जनता की सहायता करने, उसका मनोधैर्य कायम रखने में मदद करना ।
- (५) जातीय सौहार्द निर्माण करने, समाज को भयमुक्त करने के कार्य में सहभागी होना आदि ।

ड) नागरी सुरक्षा (Civil Defence): शत्रु के हवाई हमलों से अपने देश की जीवित तथा स्थायी संपत्ति की रक्षा करने के लिए जो संगठन बचाव कार्य करता है उस संगठन को नागरी सुरक्षा संगठन कहते हैं । विस्तार से बड़े आकारयुक्त भारत में नागरी सुरक्षा प्रत्येक राज्य की अपनी जिम्मेदारी होती है । नागरी सुरक्षा संगठन की नीति, नियंत्रण तथा कार्यवाही पूरे देश के स्तर पर होना जरूरी होता है । यह जिम्मेदारी 'महानिदेशक नागरी सुरक्षा' की है और राज्य में 'निदेशक नागरी सुरक्षा' की होती है ।



नागरी सुरक्षा सेवा की रचना केंद्र, राज्य तथा जिला त्रिस्तरीय होती है। इन स्तरों पर उनका कार्य जारी रहता है। इसमें सुरक्षा सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी, सार्वजनिक संगठन के नेता, औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारी, डाक विभाग, टेलिग्राफ सेवा के अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तथा तंत्रज्ञों का अंतर्भाव होता है।

कार्य : शत्रु द्वारा किए गए हवाई हमलों में जीवित तथा आर्थिक हानि न हो इसलिए नागरी सुरक्षा संगठन निम्न कार्य करता है।

- (१) शत्रु द्वारा फेंके गए बम को निरुपयोगी बनाना।
- (२) सूचना देने वाली यंत्रणा कार्यान्वित करना।
- (३) कार्य का विभाजन करना।
- (४) प्रकाशबंदी (Black out) करना।
- (५) घायलों की वैद्यकीय सहायता करना।
- (६) आग बुझाना।
- (७) संसाधनों की रक्षा करना।
- (८) सैनिक कल्याण केंद्र की स्थापना करना आदि।

उपक्रम

(१) पुलिस के साक्षात्कार लीजिए।

(अ) पुलिस का नाम तथा पद

.....

.....

(ब) वर्तमान कार्यरत पुलिस थाना तथा विभाग

.....

.....

(क) सेवा कालावधि

.....

.....

(ड) शिक्षा-प्रशिक्षण

.....

.....

(इ) सेवा काल के अनुभव

.....

(ई) युवकों के लिए संदेश

.....

.....

.....

.....



प्रकरण ९ सेना में सेवा अवसर

सेना में सेवा देना देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ईमानदारी तथा संतोषकारी अनुभव देने वाला होता है। सेना में भर्ती होने के तीन साधारण चरण हैं।

- १) १० वीं (S.S.C) परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद
- २) १२ वीं (H.S.C) परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद
- ३) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के बाद

सेना-सेवा में भर्ती के स्तर :

सेना में भर्ती होने के योग्यतानुसार विभिन्न स्तर होते हैं। वे स्तर निम्नानुसार हैं।

- | | |
|-----------------------------|--|
| (१) प्रथम श्रेणी वर्ग | – १ – सनदी अधिकारी |
| (२) द्वितीय श्रेणी वर्ग | – २ – अथवा ब गट (सनदी अधिकारी) |
| (३) तृतीय श्रेणी वर्ग | – २ – अथवा ब गट (बिना सनदी अधिकारी) |
| (४) चतुर्थ श्रेणी वर्ग | – ३ – अथवा क गट |
| (५) पंचम श्रेणी अथवा ड वर्ग | इसमें कुशल तथा अर्धकुशल मजदूरों (कामगारों/श्रमिकों) की भर्ती की जाती है। |

सेना में भर्ती के मूलभूत घटक

- आयुमर्यादा – नियमों में दर्शाए अनुसार
- शारीरिक क्षमता/नियम के अनुसार ऊँचाई, वजन, छाती
- वैद्यकीय क्षमता – नियम के अनुसार
- शैक्षणिक क्षमता – नियम के अनुसार संकेत स्थलों का आवश्यकतानुसार प्रयोग कीजिए और अधिक जानकारी पाइए।

सेना तथा बलों में महिलाओं के लिए अवसर

- **सैन्यबल :** विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने के बाद सनदी अधिकारी के पद पर, प्रथम वर्ग सनदी अधिकारी पद पर नियुक्ति हो सकती है।
- **अर्द्ध सैनिक बल :** CRPF, BSF तथा ITBP में अधिकारी गृह तथा उसके निम्नस्तर पर जो गुट होते हैं, उसमें महिलाओं को अवसर प्राप्त होते हैं।

आवेदन देने की पद्धतियाँ :

सेना में विभिन्न स्तरों पर विविध सेवाओं के लिए अलग-अलग (विविध) संकेत स्थल दिए हैं। उनका उपयोग कीजिए। वे संकेत स्थल निम्नलिखित हैं। -

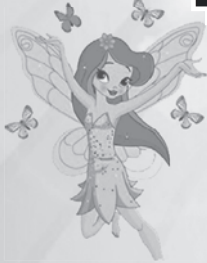
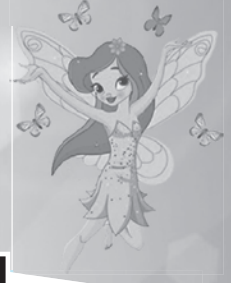
- | | |
|----------------------------------|---|
| (१) थलसेना | - http://www.joinindianarmy.nic.in |
| (२) नौसेना | - http://www.joinindiannavy.gov.in |
| (३) वायुसेना | - http://www.carrerairforce.nic.in |
| | - http://airmenselection.in |
| (४) सीमा सुरक्षा बल | - http://bsf.nic.in |
| (५) केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल | - http://crpfnic.in |
| (६) इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस | - http://recruitmentitbpolice.nic.in |
| (७) सशस्त्र सीमा बल | - http://www.ssb.nic.in |
| (८) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | - http://www.cisf.gov.in |
| (९) असम राइफल्स | - http://www.assamrifles.gov.in |

इसके अलावा साप्ताहिक Employment News इस समाचार पत्र से जानकारी प्राप्त कीजिए।





किशोर



कथा, कविता, कादंबरीका, एकांकिका,
दीर्घकथा, गंमतगाणी, ललित, छंद, चरित्र,
विज्ञान, देश-देशांतर, लोककथा

लोकप्रिय व अभिरुचिसंपन्न किशोर
मासिकातील चाळीस वर्षांतील
निवडक साहित्यावर आधारित
'निवडक किशोर'चे १४ खंड



किंमत प्रत्येकी
₹ १६३/-
(३०% सूट)

वरील खंड पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या सर्व भांडारांत विक्रीसाठी
उपलब्ध आहेत. १४ खंडांची एकूण किंमत ₹ १६००/-



किशोर

वरील खंडांच्या खरेदीसाठी मंडळाच्या पुढील विभागीय भांडारांशी संपर्क साधा.

पुणे (०२०- २५६५९४६५), मुंबई (गोरेगाव) (०२२-२८७७१८४२), औरंगाबाद (०२४०- २३३२१७१),
नागपूर (०७१२-२५२३०७८/ २५४७७१६), नाशिक (०२५३- २३९१५११), लातूर (०२३८२- २२०९३०),
कोल्हापूर (०२३०- २४६८५७६), अमरावती (०७२१-२५३०९६५), पनवेल (०२२- २७४६२६४५)



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

हिंदी संरक्षणशास्त्र (कार्यपुस्तिका) इयत्ता नववी

₹ ३८.००

